

राईकाबाग पैलेस मामले में पूर्व राजघराने को राहत

हाईकोर्ट ने आयकर अपील ट्रिब्यूनल का आदेश किया अपास्त

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर के पूर्व राजघराने को राहत प्रदान करते हुए उनकी पावटा ओवरब्रिज से सटी सम्पत्ति राईकाबाग पैलेस मामले में आयकर अपील ट्रिब्यूनल की ओर से 16 मार्च 2007 को जारी आदेश को अपास्त कर दिया। यह आदेश वरिष्ठ न्यायाधीश गोविन्द

माथुर व न्यायाधीश विनीत माथुर की खंडपीठ ने देवाजर महारानी रजिडेंशियल एकाॅमोडेशन वेल्फेयर एंड एमिनिटीज ट्रस्ट की ओर से दायर आयकर अपील का निस्तारण करते हुए दिए। ट्रिब्यूनल के आदेश में राजघराने को आयकर विभाग की ओर से जारी एक नोटिस को सही ठहराते हुए उसमें बताई गई राशि का भुगतान करने का कहा गया था।

गौरतलब है कि राईकाबाग पैलेस में आयकर विभाग कार्यालय कार्यालय संचालन के दौरान वर्ष 1986 से 1998 तक करीब 10-12 वर्ष में जितना

किराया राजघराने को भुगतान किया था, उस पर नियमानुसार आयकर भुगतान का नोटिस दिया था, जो लाखों में था। राईकाबाग पैलेस देवाजर महारानी रजिडेंशियल एकाॅमोडेशन वेल्फेयर एंड एमिनिटीज ट्रस्ट के तहत संचालित किया जा रहा है। इसी ट्रस्ट की ओर से विभाग के नोटिस के खिलाफ आयकर ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की गईं, लेकिन 16 मार्च 2007 को अपीलों को खारिज कर दिया गया। इस पर अधिवक्ता एलआर मेहता व रमित मेहता के माध्यम

से हाईकोर्ट में आयकर अपील से चुनौती दी गई। खंडपीठ में कहा गया कि यह मामला भी आयकर अपील संख्या 94/2005 सीआईटी जोधपुर बनाम देवाजर महारानी रजिडेंशियल एकाॅमोडेशन वेल्फेयर एंड एमिनिटीज ट्रस्ट मामले में खंडपीठ द्वारा 6 मई 2008 को जारी सपटित 28 अप्रैल 2011 के आदेश जो कि विविध सिविल मिसलेनियस आवेदन 7144/2010 की सुनवाई में दिए गए के समान है। अतः उसी तरह से इन अपीलों का निस्तारण किया जाता है।